

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त अयोध्या।
पत्रांक 1773 / 14-10 दिनांक, अयोध्या, दिसम्बर 01 - 1 - / 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणा बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बरती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वन के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/151936/2022।
सन्दर्भ:- वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू०पी०/06/303/2022/एफ०सी०/340 दिनांक 08.09.2023, एवं आपका पत्रांक 1571/11-सी दिनांक 26-12-2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या के पत्रांक 2242/14-4 दिनांक 27.12.2023 द्वारा आपत्तियों/कमियों का विन्दुवार निराकरण करके वांछित सूचना संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राप्त विन्दुवार सूचना संस्तुति सहित संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनोज कुमार/सोनकर)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

पृ०सं० 1773/उक्त दिनांक।

1- प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सुनिश्चित करें, कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।

2- प्रतिलिपि- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार सोनकर)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अयोध्या

पत्रांक 2242 /14-4 दिनांक:अयोध्या: 27/12 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
साठवाठ सरयू वृत्त,
अयोध्या।

विषय:- अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिण बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वन के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8वीं/यू०पी०/०६/३०३/२०२२/एफ०सी०/३४० दिनांक ०८.०९.२०२३ एवं मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 1571/11-सी-FP/UP/Road/151936/2022 दिनांक 26.12.2023 व आपका पत्रांक 1728/14-10 दिनांक 26.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं अन्य सहित अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों से सम्बन्धित अभिलेख प्रयोक्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अतः लगायी गयी इस कार्यालय से सम्बन्धित आपत्तियों/कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर ऑनलाइन व हार्डकॉपी में संशोधित कर वांछित सूचना एवं प्रयोक्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया आपत्तियों/कमियों का बिन्दुवार निराकरण Parivesh Portal पर ऑनलाइन अपलोड कर संस्तुति सहित निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है:-

क्र० सं०	कमियों/अभिलेख	निराकरण
1	2	3
1	As per the DSS report, the KML file of the proposed CA land of Ayodhya district is wrong. As per the Geo referenced map and SOI toposheet, positional error has been found in the proposed CA land of the Ayodhya district, This needs rectification.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित अवनत वनभूमि की संशोधित के०एम०फाइल, जियो रिफरेंसड मैप, व टोपोशीट उपलब्ध करायी गयी जो कि परिवेश पोर्टल के पार्ट-2 में पुनः अपलोड कर दिया गया है व उसकी एक प्रति संलग्नक कर प्रेषित है। क्षेत्रीय वन अधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर चयनित स्थल पर्याप्त एवं उपयुक्त है। सी०ए० चेक लिस्ट ऑनलाइन Additional Information Detail में अपलोड कर दिया गया है।
2	According to the Geo referenced map positional error has been found. This needs rectified.	वन प्रभाग गोण्डा द्वारा संशोधित संशोधित जियो रिफरेंसड मैप उपलब्ध कराया गया है जिसको पुनः ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड कर दिया गया है।
3	As per the Google Earth imagery dated dated 29-03-2017, plantation activity has been observed on the poropsed CA land of Tikeri Range, Gonda.	प्रभागीय वन प्रभाग, वन प्रभाग गोण्डा के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित भूमि की संशोधित के०एम०फाइल, जियो रिफरेंसड मैप, व टोपोशीट उपलब्ध करायी गयी जो कि परिवेश पोर्टल के पार्ट-2 में पुनः अपलोड कर दिया गया है।
4	As per the Parivesh Portal Geo-referenced map of the proposed CA land of the Basti division is not clearly visible. This needs to be re-uploaded with high DPI on the Parivesh portal.	प्रभागीय वन प्रभाग, वन प्रभाग बस्ती के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित भूमि की उच्च स्तर की डी०पी०आई० का जियो रिफरेंसड मैप, व टोपोशीट उपलब्ध करायी गयी जो कि परिवेश पोर्टल के पार्ट-2 में पुनः अपलोड कर दिया गया है।

5	Roadside plantation scheme needs to be submitted.	रोडसाइड वृक्षारोपण का स्कीम पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है एवं परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन Additional Information Detail में अपलोड कर दिया गया है।
---	---	--

अतः समस्त बिन्दुओं की कमियों/आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर Parivesh Portal पर ऑनलाइन अपलोड कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-समयबद्धता

भवदीय,



(सितान्धु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।

पत्रांक _____ / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्रीय भवन सेक्टर-एच अलीगंज, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।

(सितान्धु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।